

## जून 2020

1. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए “नवनिर्माण योजना योजना” शुरू की है।
2. COVID-19 रोगियों के लिए एक लाख बेड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का (यूपी) पहला राज्य बन गया।
3. उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने (यूपी) के उद्देश्य से ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’ शुरू की है।
  - नोट: अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है।
  - यह बाल श्रमिक विद्या योजना प्रदान करती है वित्तीय सहायता चयनित छात्रों को की 1000 रुपये प्रति माह लड़कों को, 1200 रुपये प्रति माह लड़कियों को और अगर ये बच्चे 8 वीं, 9 वीं और 10 वीं पास करते हैं, तो उन्हें मिलेंगे 6000 रुपये सालाना मासिक प्रोत्साहन के साथ-साथ।
4. उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (यूपी) (MGNREGA) के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला भारत का शीर्ष राज्य बन गया है।

5. उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने (यूपी) का फैसला किया है, जिसका अर्थ है कि गैर प्रदूषणकारी उद्योग बहुस्तरीय-इमारतों में काम कर सकते हैं।
6. कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी।
- कुशीनगर कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों जैसे कि कपिलवस्तु, श्रावस्ती, लुम्बिनी के इलाके (कुशीनगर अपने आप में एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है) में स्थित है और एक "अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे" के रूप में घोषणा की पेशकश करेगा बेहतर कनेक्टिविटी, हवाई यात्रियों के लिए प्रतिस्पर्धी लागत का एक व्यापक विकल्प।
7. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गौअध्यादेश (संशोधन) वध रोकथाम-2020 के मसौदे को मंजूरी दी।
- गौ-वध रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का उद्देश्य अपराधों को रोकना और गाय की रक्षा करना और गोहत्या से संबंधित है। प्रस्तावित कानून में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक के कारावास की सजा और गोहत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
  - उत्तर प्रदेश गौ-हत्या निरोधक अधिनियम, 1955 की धारा 5 (संशोधित) के अनुसार गोजातीय पशुओं के परिवहन के लिए दंड का सुझाव दिया गया है। यह शारीरिक क्षति या उत्परिवर्तन के माध्यम से उनके जीवन के लिए खतरा होने पर सजा को भी आकर्षित करता है। यदि कोई अपने जीवन को खतरे में डालने के इरादे से भोजन और पानी नहीं देकर गाय के जीवन को

खतरे में डालता है, तो कम से कम 1 साल की कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जो 7 साल तक बढ़ सकती है।

8. आईआईटी कानपुर विकसित करता है वर्चुअल क्लासरूम एड, 'मोबाइल मास्टरजी'

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर ने एक वर्चुअल क्लासरूम सहायता, 'मोबाइल मास्टरजी' बनाई है। यह एक कक्षा-से-घर शिक्षण सेटअप है, जो छात्रों को स्मार्टफोन का उपयोग करते समय शिक्षकों के व्याख्यान / निर्देशों को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। इसे IIT कानपुर की इमेजिनेशन लैब द्वारा विकसित किया गया है।

9. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर एक 'SHUDH' बनाते हैं, आसपास के वातावरण को COVID मुक्त बनाने के लिए UV सेनिटाइजिंग डिवाइस

- SHUDH को एक स्मार्टफोन, Handy UV Disinfection Helper से संचालित किया जाता है। यह कोरोनावायरस को विशेष रूप से अत्यधिक प्रवण स्थानों जैसे कि अस्पताल, होटल, मॉल, कार्यालय और स्कूलों को हटाने में मदद करता है।